

आदेश-डतुरक

(देखें अभिलेख हसुतक, 1941 का नलडड 129)

ऑललल जहानलडडल डलड संखुडल 267/2017.

केस का डुरकलर- 02 गडल शलकुषक/02 सुनलतक नलरुवलकन-2017 के अवसर डुर डंड डुरकुडलल संहलतल के धलरल-144 अनुतुरगत नलषेधलऑलल का डुरखुडलडन।

डदेश की कड सं0 और तलरीख
1

आदेश और डुदलधलकलरी का हसुतलकुर
2

आदेश डुर की गरी कलरुवलड के का
तलरीख संहलत
3

नुडलडलल अनुडंडल डंडलधलकलरी, जहलनलडडल

सरकलर डनलड अनुड

नलषेधलऑलल आदेश

नलरुवलकन आडुडग, डलहलर धुवलर 02 गडल शलकुषक/02 सुनलतक नलरुवलकन-2017 की धुषणल कुर डी गई है। नलरुवलकन आडुडग, डलहलर धुवलर नलरुवलकन की धुषणल से ही आदरुश आकलर संहलतल डुरडलवी हुु गडुी है, तथल वलडलनन संडलवलत डुरतुडलशलडुीं धुवलर कुरुनलवी डुरकलर कलरुडकड डुरलरडुड कुर डलडल गडल है। इस अवधल डें वलडलनन डुरतुडलशलडुीं धुवलर नलडलंकन/कुरुनलव डुरकलर हेतु ऑन सडल/ऑुलूस का आडुडऑन कलडल ऑलडेगल। ऑन सडल एवं ऑुलूस डें आडुसुी डुरतलधुनुदलतल एवं डुरतलसुडरुधल के कलरण शसुतुर एवं शकुवलत डुरदरुशन कुर डतदलतलऑुीं कुु डुरडलवलत/आतंकलत कलडे ऑलने तथल वलधल वुडवसुथल डुंग हुुने की डुरवल संडलवनल है। इसके अतलरलकुत डतदलतलऑुीं कुु डुरलने-धडकलने, ऑलतुीड, सलडुुरदलडलक तथल धलरुडक वलधुषे कल डलवनल डैललने के ललडे अवलऑलत /असलडलऑलक ततुुीं के सकुरलड हुुने के कलरण वलधल-वुडवसुथल की सडसुडल उतुडनुन हुु सकतुी है, एवं लुक शलतल डुंग हुु सकतुी है। डलनलंक 09.03.2017 कुु डतदलन नलरुधलरलत है। इस डलत से इनकलर नहुीं कलडल ऑल सकतल है कल कुरुनलव डें वलधल-वुडवसुथल एवं सलडलऑलक सुुहलरुधल डलगडने की संडलवनल से डी इनकलर नहुीं कलडल ऑल सकतल है।

अतः डें डुुऑु नवल कलशुर कुुधरी, डल0डुर0सुु0, अनुडंडल डंडलधलकलरी, जहलनलडडल संतुषुत हुुं कल उडुर 02 गडल शलकुषक/02 सुनलतक नलरुवलकन-2017 के अवसर डुर नलरुधलतुडक कलरुवलडुीं नहुीं की गई तल लुक शलतल डुंग की ऑल सकतुी है और वलतलवरण अशलंत एवं डलडलकुरलंत हुु सकतल है। अतः डें दं0डुर0सं0 की धलरल 144 के तहत डुरदतुत शकुवलतुुीं का डुरडुडग कुरते हुु डुरे जहलनलडडल अनुडंडल कुषेतुर डें ततुकलल डुरडलव से 02 गडल शलकुषक/02 सुनलतक नलरुवलकन-2017 के डतदलन डुरकुडलल सडलडतल तक नलषेधलऑलल डुरखुडलडत कुरते हुु नलडुनललखलत आदेश देतल हुुं:-

1. कलसुी डी डुरकलर के सडल ऑुलूस, धरनल डल डुरदरुशन (ऑलसडें डुुऑु डल उससे से अधलक वुडकुत इकुुकुटे हुु) डलनल सकुषड डुदलधलकलरी की डुरवलनुडतल के आडुडऑलत नहुीं हुुगी तथल धुवनल वलसुतलरक डुतुर कल डुरडुडग डी डलनल सकुषड डुदलधलकलरी की डुरवलनुडतल के नहुीं हुुगल। डलह आदेश डुरुव से अनुडतल डुरलडुत सडल/ऑुलूस, शलदुी, डुरलत डलरुती, शव-डलतुरल, हलत डलऑलर, असुडतलल डें ले ऑल रहे डुरीऑु के सलथ ऑलने वलले वुडकुतलडुीं, वलधुडलल एवं डलहलवलधुडललल डें ऑलने वलले ऑलतुर-ऑलतुरलऑुीं एवं कुरुतुव डुर तैनलत सरकलरी कडकलरी/डुललस डलल डुर ललगु नहुीं हुुगल।
2. कुुई डी वुडकुत कलसुी डी तुरह कल आगुनेडलसुतुर, तीर-धनुष, ललठी, डललल, गंडलसल एवं डलनव शरीर के ललडु घलतक कुुई डी हथलडलर कल डुरदरुशन नहुीं करुंगे और नहुीं लेकुर कलरुंगे।
(क) डलह आदेश डुरडुरलगत डुंग से शसुतुर धलरण कुरने वलले सडुदलड, वलधल-वुडवसुथल एवं नलरुवलकन कुरुतुव डुर लगे डंडलधलकलरी/नलरुवलकन कलरुडुीं और डुललस कलरुडुीं डुर ललगु नहुीं हुुगल।
(ख) डलह आदेश ऑललल डंडलधलकलरी, जहलनलडडल धुवलर डलहलर वलधलन सडल आडु नलरुवलकन के अवसर डुर नलरुधलत कलडे ऑलने वलले आदेश डुर नलरुधलत तलथल कुु नलरुधलत

स्थान पर शस्त्र अनुप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र जमा करने हेतु ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा।

3. किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपमानजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे या नहीं चिपकायेंगे या नहीं लिखेंगे जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो।
4. कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं धार्मिक आयोजनसे साम्प्रदायिक भावना को राजनीतिक हित के लिए नहीं उभारेंगे तथा न ही भडकायेंगे।
5. कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे।

निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा समय समय पर दिये जाने वाले आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर के साथ निर्गत किया गया। यह आदेश तत्क्षण प्रभावी होगा।

लेखापित्त एवं संशोधित,

(डा० नवल किशोर चौधरी)

अनुमंडल दंडाधिकारी,
जहानाबाद।

(डा० नवल किशोर चौधरी)
अनुमंडल दंडाधिकारी,
जहानाबाद।

ज्ञापांक 93 / न्या०, दिनांक 4.3. 2017.

प्रतिलिपि:— सभी अंचल अधिकारी, / प्रखंड विकास पदाधिकारी / थानाध्यक्ष / ओ० पी० अध्यक्ष, अनुमंडल जहानाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सम्पूर्ण जहानाबाद अनुमंडल क्षेत्र में जन साधारण की जानकारी के लिये किया जाए तथा किए गये प्रचार से संबंधित प्रमाण-पत्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाए।

प्रतिलिपि:— आ० टी० मैनेजर, समाहरणालय, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं जिले के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— अपर पुलिस अधीक्षक / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी / प्रभारी पदा० जिला विधि शाखा, जहानाबाद, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— जिला पदाधिकारी / पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद की सेवा में सादर प्रेषित।

प्रतिलिपि:— निर्वाची पदाधिकारी 02, गया स्नातक एवं 02 शिक्षक-सह-प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(डा० नवल किशोर चौधरी)
अनुमंडल दंडाधिकारी,
जहानाबाद।